मध्यप्रदेश शासन

मुख्य सचिव कार्यालय

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 07 /मुस/2020 भोपाल, दिनांक 23/03/2020

कोरोना संक्रमण के कारण लॉक-डाउन के संबंध में समेकित मार्गदर्शिका

मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949 के माध्यम से अधिसूचना दिनांक 18/03/2020 के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित कर दिये जाने के फलस्वरूप कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं संक्रमण की रोकथाम हेतु व्यापक लोकहित, जीवन की सुरक्षा एवं लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा Epidemic Diseases Act, 1897 अंतर्गत The Madhya Pradesh Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 अधिसूचित किये गये है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुये विभिन्न अवधियों के लिये **लॉक-डाउन** घोषित किया गया है। इस संबंध में संपूर्ण प्रदेश में की जा रही कार्यवाहियों की एकरूपता सुनिश्चित करते हुये महामारी नियंत्रण एवं रोकथाम के कार्य में और अधिक स्पष्टता लाने हेतु राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते है, जिनका ध्यान जिला कलेक्टर्स अपने स्तर से जारी किये जाने वाले आदेशों में रखेंगे -

A. उन जिलों के संबंध में दिशा-निर्देश जहां कोरोना वायरस संक्रमण के मरीज कोरोना पॉजिटिव पाये गये है

मध्यप्रदेश के जिन जिलों के मरीजों को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेषज्ञों द्वारा औपचारिक रूप से कोरोना संक्रमण पॉजिटिव घोषित कर दिया गया है, वहां लॉक-डाउन के दौरान निम्न मार्गदर्शिका के अनुसार कार्यवाही की जावे -

1. वे कार्यालय/संस्थाऐं एवं उनमें पदस्थ अमला जो अत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में आने के फलस्वरूप लॉक-डाउन से पूर्णतः मुक्त रहेंगे -

1.1 कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा उनके अधीन कानून व्यवस्था एवं मजिस्ट्रियल कार्य करने वाले समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं उनके कार्यालय

1.2 ऐसे अधिकारी एवं उनके कार्यालय जिन्हें शासकीय कार्य/कानून व्यवस्था हेतु मजिस्ट्रियल शक्तियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से सौंपी गई हो।

Scanned by CamScanner

1.3 समस्त पुलिस प्रशासन

1.4 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत पदस्थ एवं कार्यरत समस्त अधिकारी, कर्मचारी (जिनमें चिकित्सक/विषय विशेषज्ञ/पैरामेडिकल स्टॉफ आदि सम्मिलित है), चाहे वे किसी भी माध्यम से नियुक्त हुये हो एवं किसी भी स्तर पर कार्यरत हो।

1.5 चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत पदस्थ एवं कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी (जिनमें चिकित्सक/विषय विशेषज्ञ/पैरामेडिकल स्टॉफ आदि सम्मिलित है) चाहे वे किसी भी माध्यम से नियुक्त हुये हो एवं किसी भी स्तर पर कार्यरत हो।

1.6 आयुष विभाग के अंतर्गत पदस्थ एवं कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी (जिनमें चिकित्सक/विषय विशेषज्ञ/पैरामेडिकल स्टॉफ आदि सम्मिलित है) चाहे वे किसी भी माध्यम से नियुक्त हुये हो एवं किसी भी स्तर पर कार्यरत हो।

1.7 प्रदेश में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथालॉजी/रेडियालॉजी एवं अन्य सभी प्रकार के चिकित्सा एवं चिकित्सा जांच संस्थान।

1.8 सिविल डिफेंन्स/होमगार्ड कार्यालय एवं स्टॉफ

1.9 जनसंपर्क विभाग

1.10 सभी बैंक, एटीएम, शासकीय कोषालय एवं बीमा संबंधी संस्थाऐं।

1.11 समस्त स्थानीय निकाय (पंचायत एवं नगर पालिकाऐं/नगर निगम)

1.12 आपदा प्रबंधन से जुड़ी समस्त संस्थाऐं एवं उनमें कार्यरत अमला।

1.13 जेल एवं उप जेल।

1.14 पशु चिकित्सालय।

1.15 सेना, पैरामिलिट्री, आयकर, रेलवे, एयरपोर्ट, पासपोर्ट कार्यालय, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी।

1.16 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय।

1.17 ग्रामीण पेयजल प्रदाय के कार्य संबंधित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यालय एवं अमला।

1.18 अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े सभी कॉल सेन्टर।

1.19 अन्य कार्य/सेवाऐं/कार्यालय जो The Madhya Pradesh Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 में अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें।

Scanned by CamScanner

2. शासकीय अथवा निजी क्षेत्र द्वारा प्रदाय की जाने वाली वे सामग्रियां अथवा सेवाएँ एवं उनसे संबंधित अमला जो अत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में आने के फलस्वरूप लॉक-डाउन से पूर्णतः मुक्त रहेंगे -

2.1 सूचना एवं सम्पर्क सेवाऐं - टेलीफोन/मोबाईल फोन/इंटरनेट/डेटा सेंटर/नेटवर्क सर्विसेस/वाईफाई, सायबर सुरक्षा तंत्र, आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेज आदि।

2.2 विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं विद्युत वितरण से संबंधित समस्त सेवाएँ।

2.3 अग्नि शमन सेवाऐं

2.4 बुनियादी आवश्यकता से संबंधित खाद्य एवं पेय पदार्थ जैसे - सब्जियां, ब्रेड, फल, अनाज, दूध एवं डेयरी प्रोडेक्ट एवं किराने का सामान, पेयजल एवं जीवन रक्षक वस्तुऐं आदि।

2.5 सभी प्रकार की दवाओं की दुकान, कैमिकल स्टोर्स, फॉर्मासुटिकल्स, चश्में की दुकान, चिकित्सकीय उपकरणों, सामग्रियों एवं दवाओं आदि के निर्माण, परिवहन एवं वितरण से जुड़े समस्त कार्य।

2.6 प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया संबंधी सेवाएँ।

2.7 समस्त प्रकार के ईधन, जिसमें एल.पी.जी., पी.एन.जी., सी.एन.जी की आपूर्ति, ऑयल एजेंसी एवं इनसे संबंधित गोदाम तथा परिवहन के साधन, पेट्रोल एवं डीजल के भण्डारण, परिवहन एवं पंपों से ब्रिकी एवं इलेक्ट्रिक वाहन बैट्री रिजार्च स्टेशन से संबंधित सेवाएं।

2.8 डाक, कोरियर एवं पार्सल सेवाऐं।

2.9 सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकानें।

2.10 ई-कॉमर्स आधारित गतिविधयां जिनमें अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आपूर्ति की जाती है।

2.11 पशु-आहार।

2.12 घर पहुंच सेवा प्रदान करने वाले अथवा खाद्य सामग्री पैक कर ले जाने संबंधी सुविधा प्रदान करने वाले होटल/रेस्टोरेंट।

2.13 अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित उत्पादन एवं निर्माण इकाईयां।

2.14 खाद्य सामग्री, आवश्यक वस्तुऐं तथा दवा एवं चिकित्सा से संबंधित सामग्रियों का संग्रह करने वाले वेयर हाउस एवं गोदाम।

2.15 शासकीय एवं निजी अस्पतालों द्वारा अथवा शासन द्वारा संचालित एम्बुलेंस।

2.16 माल परिवहन के लिये उपयोग किये जाने वाले वाणिज्यिक वाहन जैसे- ट्रक, मिनी ट्रक, टेम्पो आदि।

2.17 अत्यावश्यक सेवाऐं प्रदान करने वाले अमले के लिये निर्मित केन्टीन/भोजन सुविधा।

2.18 खाद्यान्न (गेंहू, चावल, आटा) दाल (चना, तुअर, उडद, मूंग, मसूर), खाद्य तेल (मूंगफली तेल, सरसों तेल, वनस्पति तेल, सोया तेल, सनफ्लॉवर तेल), सब्जियां

Scanned by CamScanner

(आलू, टमाटर, प्याज) एवं शक्कर, गुड़, दूध, चाय, नमक की आपूर्ति करने वाली किराना दुकानों से संबंधित सेवाएं। फल एवं सब्जी की आपूर्ति करने वाले फुटकर विक्रेता की सेवाएं।

2.19 पोल्ट्री एवं पोल्ट्री फीड।

2.20 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्रियों के भण्डारण, परिवहन एवं वितरण से संबंधित सेवाएं।

2.21 रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य के उपार्जन के लिये जरूरी सामग्रियों जैसे - गनी बैग, पीपी बैग, क्रेट्स, टारपोलिन कवर, कीटनाशक एवं भण्डारण की अधोसंरचना निर्मित करने हेतु ली जाने वाली सेवाएं।

2.22 अन्य सामग्रियां/सेवाऐं जो The Madhya Pradesh Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 में अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें।

3. <u>वे कार्य/सेवाऐं/कार्यालय जो सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर संचालित किये जा सकेंगे -</u>

3.1 ऐसे वाणिज्यिक यात्री वाहन जिन्हें व्यक्तिगत/शासकीय अथवा अन्य किसी आपातकालीन उपयोग के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत आवागमन के लिये अधिकृत किया गया हो।

3.2 एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेशन से अस्पताल आने एवं जाने के लिये उपयोग किये जाने वाले वाणिज्यिक/व्यक्तिगत वाहनों के माध्यम से परिवहन की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा अपने स्तर से आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करते हुये दी जायेंगी।

3.3 ऐसे वाहन, जिनका उपयोग आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुये अमले के परिवहन एवं आवागमन में किया जा रहा हो, उनके लिये यह आवश्यक होगा कि वे अपना प्राधिकृत पहचान पत्र अपने साथ अनिवार्य रूप से रखेंगे और मांगे जाने पर प्रस्तुत करेंगे।

3.4 शहर के भीतर सार्वजनिक परिवहन उसी शर्त अनुमत होगा जबकि 02 अथवा 03 सीटों के एक ब्लॉक में एक यात्री को बैठाया जावे।

3.5 ऐसी उत्पादन एवं निर्माण इकाईयां, डिस्टलरी आदि जिनका उत्पादन सतत् प्रकृति का होता है एवं जिन्हें तत्काल बंद किया जाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है तथा उन्हें बंद किये जाने से उक्त इकाई पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो ऐसी सभी इकाईयों को सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगी एवं वे इकाईयां समस्त निर्धारित सावधानियों एवं मापदण्डों का पालन कर अपना उत्पादन कार्य निरंतर रख सकेंगी।

Scanned by CamScanner

3.6 अन्य कार्य/सेवाऐं/कार्यालय जो The Madhya Pradesh Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 में अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें।

4. <u>वे कार्य/सेवाऐं/गतिविधियां जिनका संचालन निर्धारित अवधि में पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा-</u>

4.1 सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल एवं तीर्थ स्थल।

4.2 सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पारिवारिक, धार्मिक, साहित्यिक एवं सामूहिक कार्यक्रम, जिनमें 20 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति संभावित हो।

4.3 समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय, विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग क्लासेस।

4.4 सार्वजनिक पार्क, जिम, स्वीमिंगपूल, खेलकूद गतिविधियां, स्टेडियम, ब्यूटीपार्लर, मॉल (अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े वाणिज्यिक प्रकल्पों को छोड़कर)

4.5 होल सेल/थोक मण्डियों के माध्यम से खेरची/रिटेल विक्रय संबंधी कार्य।

4.6 मैरिज गार्डन, ऑडिटोरियम।

4.7 सिनेमा घर।

4.8 फूड जोन्स/चौपाटी/हॉकर्स कॉर्नर्स।

4.9 बार, पब एवं अहाता।

4.10 अन्य कार्य/सेवाऐं/गतिविधियां जो The Madhya Pradesh Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 में अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें।

B. उन जिलों के संबंध में दिशा-निर्देश, जहां कोरोना वायरस संक्रमण के मरीज कोरोना पॉजिटिव पाये जाने की स्थिति नहीं है

जिन जिलों में कोरोना वायरस के संक्रमण से अबतक एक भी पॉजिटिव मरीज का पाया जाना विशेषज्ञ जांच में प्रमाणित नहीं हुआ है, उन जिलों में जिला कलेक्टर्स स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्वविवेक से निर्णय लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु समय-समय पर जारी गाईडलाईन्स का पालन सुनिश्चित करते हुये इस मार्गदर्शिका में कंडिका A(1) एवं कंडिका (2) में वर्णित के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं एवं संस्थानों के प्रतिबंध से मुक्त श्रेणी में सम्मिलित कर सकेंगे। इन जिलों में स्थापित ऐसी उत्पादन एवं निर्माण इकाईयां, डिस्टलरी आदि जिनका उत्पादन सतत् प्रकृति का होता है एवं जिन्हें तत्काल बंद किया जाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है तथा उन्हें बंद किये जाने से उक्त इकाई पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो ऐसी सभी इकाईयां समस्त निर्धारित सावधानियों एवं मापदण्डों का पालन कर अपना उत्पादन कार्य निरंतर रख सकेंगी।

Scanned by CamScanner

3.6 अन्य कार्य/सेवाएं/कार्यालय जो The Madhya Pradesh Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 में अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें।

4. वे कार्य/सेवाएं/गतिविधियां जिनका संचालन निर्धारित अवधि में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा-

4.1 सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल एवं तीर्थ स्थल।

4.2 सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पारिवारिक, धार्मिक, साहित्यिक एवं सामूहिक कार्यक्रम, जिनमें 20 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति संभावित हो।

4.3 समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय, विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग क्लासेस।

4.4 सार्वजनिक पार्क, जिम, स्वीमिंगपूल, खेलकूद गतिविधियां, स्टेडियम, ब्यूटीपार्लर, मॉल (अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े वाणिज्यिक प्रकल्पों को छोड़कर)

4.5 होल सेल/थोक मण्डियों के माध्यम से खेरची/रिटेल विक्रय संबंधी कार्य।

4.6 मैरिज गार्डन, ऑडिटोरियम।

4.7 सिनेमा घर।

4.8 फूड जोन्स/चौपाटी/हॉकर्स कॉर्नर्स।

4.9 बार, पब एवं अहाता।

4.10 अन्य कार्य/सेवाएं/गतिविधियां जो The Madhya Pradesh Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 में अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें।

B. उन जिलों के संबंध में दिशा-निर्देश, जहां कोरोना वायरस संक्रमण के मरीज कोरोना पॉजिटिव पाये जाने की स्थिति नहीं है

जिन जिलों में कोरोना वायरस के संक्रमण से अबतक एक भी पॉजिटिव मरीज का पाया जाना विशेषज्ञ जांच में प्रमाणित नहीं हुआ है, उन जिलों में जिला कलेक्टर्स स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्वविवेक से निर्णय लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु समय-समय पर जारी गाईडलाईन्स का पालन सुनिश्चित करते हुये इस मार्गदर्शिका में कंडिका A(1) एवं कंडिका (2) में वर्णित के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं एवं संस्थानों के प्रतिबंध से मुक्त श्रेणी में सम्मिलित कर सकेंगे। इन जिलों में स्थापित ऐसी उत्पादन एवं निर्माण इकाईयां, डिस्टलरी आदि जिनका उत्पादन सतत् प्रकृति का होता है एवं जिन्हें तत्काल बंद किया जाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है तथा उन्हें बंद किये जाने से उक्त इकाई पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो ऐसी सभी इकाईयां समस्त निर्धारित सावधानियों एवं मापदण्डों का पालन कर अपना उत्पादन कार्य निरंतर रख सकेंगी।

Scanned by CamScanner

C. अन्य निर्देश

1. उपरोक्त समस्त दिशा-निर्देश मार्गदर्शी स्वरूप के है। जिला कलेक्टर्स स्थानीय परिस्थितियों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये अपने क्षेत्राधिकार के जिले में वे समस्त आवश्यक उपाय करने के लिये अधिकृत होगें, जिन्हे वे उचित समझे।
2. यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसी व्यवस्था बने जिससे आम नागरिकों में संशय अथवा भ्रम की स्थिति निर्मित न हो, व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की अनुमतियां प्राप्त करने के लिये अनावश्यक भटकना न पड़े।
3. जिला दण्डाधिकारी, संभाग आयुक्त एवं अन्य सक्षम प्राधिकारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यो के लिये चिन्हाकित कार्यालयों को खुला रखने एवं उनमें पदस्थ अमले को कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिये निर्देशित कर सकेंगे।
4. शासन के समस्त विभाग कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यो अथवा अन्य संवैधानिक/विधिक अनिवार्यता संबंधी कार्य अथवा विभाग के अत्यावश्यक कार्यो के लिये स्वविवेक से निर्णय लेकर विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय में शासकीय कार्य हेतु आहूत कर सकेंगे।
5. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये कार्यरत अमले एवं अन्य अत्यावश्यक सेवाओं तथा विभिन्न आवश्यक विभागीय कार्यो के लिये कर्त्तव्यस्थ अमले के महामारी से बचाव हेतु समस्त आवश्यक सावधानियां एवं उपाय किये जाना सुनिश्चित किये जाये। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
6. यदि किसी जिले में विदेशी यात्री/पर्यटक अथवा भारतीय यात्री/पर्यटक निवास कर रहें हो तो उन्हे दबाबपूर्वक वहां से हटाने की कार्यवाही न की जावें। इसके स्थान पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाईजरी का पालन करते हुये यथा स्थिति संस्थागत क्वेरेन्टाइन, विशेषज्ञ जांच आदि हेतु कन्ट्रोल रूम के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव मोबाईल यूनिट/मेडिकल मोबाईल यूनिट अथवा रैपिड रिस्पान्स टीम को तत्काल सूचित किया जावे।
7. दो जिलों के मध्य अथवा किसी जिले से सटी अन्य राज्य की सीमाओं को संक्रमण से बचाव हेतु सील करने से पूर्व स्थिति की गंभीरता का आंकलन अवश्य कर लिया जावे एवं यह भी सुनिश्चित किया जावे कि अत्यावश्यक आपतिक कार्य से जा रहे लोगो एवं वाहनों को अनावश्यक रूप से परेशानियों का सामना न करना पडे।
8. अत्यावश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाओं से संबंधित भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों/अन्य संस्थानों को लॉक-डाउन के निर्देश प्रदान करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख से भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के संबंध में स्थिति ज्ञात कर ली जावे।

Scanned by CamScanner

9. स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप The Madhya Pradesh Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी लोक हित एवं लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक निर्णय ले सकेंगे।

10. जिन जिला दण्डाधिकारियों द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अथवा अन्य किसी विधिक प्रावधान के अंतर्गत जिले में लॉक-डाउन संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है, वे इन दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में उक्त आदेशों में यथायोग्य संशोधन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

11. इस मार्गदर्शिका का जारी करने का एक प्रमुख उद्देश्य एक ओर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर उठाये जा रहे प्रशासकीय/प्रतिबंधात्मक उपायो में एकरूपता लाना है वहीं दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित करना है कि कोरोना संक्रमण को लेकर बिना किसी आधार के अनावश्यक संशय एवं भ्रम का वातावरण निर्मित न हो, आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति हो तथा जन-जीवन पूरी तरह सामान्य बना रहे।

मार्गदर्शिका में वर्णित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

(एम. गोपाल रेड्डी)
मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
भोपाल, दिनांक 23/03/2020

पृ. क्रमांक /मुस/2020

प्रतिलिपि

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, शासन के समस्त विभाग।
5. संभागायुक्त समस्त, म.प्र.।
6. आयुक्त जनसंपर्क, म.प्र.।
7. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
8. समस्त कलेक्टर्स, म.प्र.।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन

Scanned by CamScanner